भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 9 फरवरी, 2026

संख्या लैज. 6/2026.– दि हरियाणा श्री माता मनसा देवी श्राइन (अमेन्डमेन्ट) ऐक्ट, 2025 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 3 फरवरी, 2026 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

2026 का हरियाणा अधिनियम संख्या 6

हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025
हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991
को आगे संशोधित
करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल (संशोधन) अधिनियम, 2025 कहा जा सकता है।

1991 के हरियाणा अधिनियम 14 की धारा 8 का संशोधन ।

2. हरियाणा श्री माता मनसा देवी पूजास्थल अधिनियम, 1991 की धारा 8 के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ख) यदि वह विकृत चित्त है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है ;"।

रितु गर्ग,
प्रशासकीय सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

12403—L.R.—H.G.P., Pkl.